//1//

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :– 2/2022

**उनवान**

1. धीसी पुत्री रामदेव
2. रामदेव पुत्र नन्दाराम समस्त जाति भील निवासी ग्राम बाघसुरी नसीराबाद

--- प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. करणवीर पुत्र रघुवीर जाति ब्राहमण निवासी छोटी नागफणी, पुष्कर रोड, अजमेर
2. इकबाल मोहम्मद पुत्र वाजिद खां
3. फकीर मोहम्मद पुत्र वाजिद खां
4. साहदत अली पुत्र वाजिद खां समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम अजबा का बाडिया नसीराबाद,
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, नसीराबाद तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

-- अप्रार्थीगण :– 2 से 4 अनुपस्थित
5 जरियें राज0 पैरोकार

---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

---

–: आदेश :– दिनांक :– 19.1.22

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल बाघसुरी के खसरा नम्बर 157 रकबा 1.29 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 190 रकबा 0.59, 191 रकबा 0.49 सडक से होकर हाल खसरा नम्बर 149 रकबा 0.22 जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है व 130 रकबा 1.23 जो अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी की है में से होकर हाल खसरा नम्बर 129 में आवागमन करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त आराजी पर आवागमन हेतु 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद ( अजमेर )

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम व पटवार मण्डल बाघसुरी के खसरा नम्बर 157 रकबा 1.29 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 130 रकबा 1.23 की आराजी राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम व खसरा नम्बर 149 रकबा 0.22 अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 190 व 191 गै0मु0 सडक है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित खसरा नम्बर पर आवागमन हेतु वर्तमान में कोई स्पष्ट रास्ता नही है। वर्तमान में मृख्य सडक से खसरा नम्बर 149, 150, 151 अन्य खातेदारों की भूमि में से आवगमन किया जा रहा है। प्रस्तावित खसरा नम्बर के लिये मार्ग खसरा नम्बर 149 व 130 में से चाहा गया है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोर्द मार्ग मौके पर नही है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग के खण्डन हेतु प्रकरण में कोई उपस्थित नही हुआ है। मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थना पत्र के खण्डन हेतु कोई तथ्य अंकित नही किया है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। मौका रिपोर्ट में बताये गये मार्ग को उपलब्ध कराने से प्रार्थीगण के हितो की पूर्ति भी होती है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **''स्वीकार''** किया जाता है। ग्राम व प0 म0 बाघसुरी के खसरा नम्बर 149 में से 704 वर्ग मीटर व 130 में से 102 वर्ग मीटर मीटर भूमि रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद खसरा नम्बर 149 की आराजी के बदले 24026 अक्षरे चौबीस हजार छब्बीस रूपये अप्रार्थी संख्या 1 व खसरा नम्बर 130 की आराजी के बदले 3480 अक्षरे तीन हजार चार सौ अस्सी रूपये अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को भूगतान सुनिश्चित कर रास्ते का इन्द्राज राजस्व अभिलेख के सिवायचक खाते में करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:48 IST
Reason: SelfAttested